



Build Green, Live Green!  
CIN: U45200BR2008SGC013513

# बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcccl.bih.nic.in

## BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcccl.bih.nic.in

### कार्यालय आदेश - 29

व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Apprentice Act, 1961 (यथा संशोधित 1973 एवं 2014) एवं Apprenticeship Rules 1992 के अन्तर्गत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के अधीन कार्यरत विभिन्न कार्यालयों में एक वर्षीय प्रशिक्षण देने हेतु निगम के कार्यालय आदेश सं०- दिनांक-09.03.2019 द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को निम्न वर्णित स्थान पर प्रशिक्षण हेतु प्राधिकृत किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम	शाखा	डिग्री/ डिप्लोमा	नामांकन सं०	पदस्थापन का स्थान
1	Ayush Singh	Civil Engineer	Diploma	EBRD001180700248	पी०आई०यू०, पटना
2	Manish Kumar	Civil Engineer	Diploma	EBRD01180800322	पी०आई०यू०, दरभंगा
3	Kumar Vaibhav	Civil Engineer	Diploma	EBRD001170700154	पी०आई०यू०, मुजफ्फरपुर
4	Akansha Kumari	Civil Engineer	Diploma	EBRD001180600271	पटना (मुख्यालय)
5	Kumar Aditya	Civil Engineer	Degree	EBRG001160700418	पी०आई०यू०, मुजफ्फरपुर
6	Pushpa Kumari	Civil Engineer	Degree	EBRG001180600424	पी०आई०यू०, पटना
7	Mohammad Ali	Civil Engineer	Degree	EBRG01180400669	पी०आई०यू०, सारण
8	Raju Kumar	Civil Engineer	Degree	EBRG01180500273	पी०आई०यू०, पूर्णिया
9	Kunal Parashar	Electrical Engineer	Degree	EBRG01180700065	पटना (मुख्यालय), उत्तर
10	Vinod Yadav	Architectural	Degree	EBRG031180500001	पटना (मुख्यालय)

(i) अप्रेंटिशीप अभ्यर्थियों को Apprenticeship Act, 1961 यथा संशोधित 1973, 1986 एवं 2014 के सेक्शन 22(1) के तहत रखा जाएगा, जिसके तहत अभ्यर्थियों के द्वारा अप्रेंटिशीप अवधि यथा 01 वर्ष समाप्त होने के पश्चात् निगम में नियमित अथवा संविदा नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

(ii) अप्रेंटिशीप की अवधि संबंधित कार्यालय में योगदान की तिथि के प्रभाव से अधिकतम 01 वर्ष के लिए होगी।

(iii) अप्रेंटिशीप अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को Stipend की राशि उनके योगदान की तिथि से डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी को ₹ 10,000/- (दस हजार रुपये) प्रतिमाह एवं डिग्रीधारी अभ्यर्थी को ₹ 15,000/- (पन्द्रह हजार रुपये) प्रतिमाह भुगतान संबंधित कार्यालय से किया जाएगा। जिसमें डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) से क्रमशः 4987 का 50% एवं 3542 का 50% प्रतिपूर्ति उक्त राशि में सम्मिलित है। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की राशि देय नहीं होगी।